छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
Ground floor of the Institute of Epidemiology, Room No. 102, Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar, Naya Raipur, Chhattisgarh, PIN 493661
Tel. & Fax No. 0771-2543393 www.cgmedicalcouncil.org E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/स्था./2026/443 रायपुर, दिनांक :–29/10/2026

//सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कौंसिल की अधिनियम 1987, की धारा 4 (1)(क) के अंतर्गत्, छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के गठन के परिप्रेक्ष में छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में पंजीकृत चिकित्सकों में से पांच चिकित्सकों का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाना है। इस संदर्भ में सभी पंजीकृत चिकित्सकों को इस सूचना के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि उक्त चुनाव हेतु मतदाता सूची पंजीयन क्रमांक 01 से पंजीयन क्रमांक 18061 दिनांक 31/08/2026 तक छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल द्वारा तैयार कर ली गई है। पंजीकृत चिकित्सकों की सूची कार्यालय की वेबसाईट www.cgmedicalcouncil.org पर उपलब्ध है, साथ ही सूची की प्रति मेडिकल कौंसिल के कार्यालय में भी उपलब्ध है । यदि किसी चिकित्सक को उक्त सूची में संशोधन अथवा दावा आपत्ति करना है तो रजिस्ट्रेशन सर्फिफिकेट की छायाप्रति व निवास प्रमाण के प्रमाणित प्रति के साथ राशि 50/– (अक्षरी पचास रूपये) के स्टांप में नोटरी करा कर, समाचार प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनो के भीतर संशोधन अथवा दावा आपत्ति कर सकते है। ताकि मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा सकें ।

(डॉ. रूपल पुरोहित)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर